।। कार्यालय पुलिस आयुक्त, जोधपुर ।।

क्रमांक : पु.आ.-जोध/विशा/संग/2023/ 2017 दिनांक : 04.10.2023

-:: आदेश ::-

(निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973)

मुझे अवगत कराया गया है कि जोधपुर आयुक्तालय क्षेत्र में विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजनों में ड्रोन का उपयोग काफी बढ चुका है। हाल ही में देश में घटित अवांछनीय घटनाओं में भी ड्रोन उपयोग में लिये गये है।

विभिन्न सुरक्षा ऐजेन्सियों द्वारा जारी अलर्ट से भी यह ध्यान में आया है कि आतंकी संगठनों एवं असामाजिक तत्वों द्वारा ड्रोन के उपयोग से देश की सुरक्षा-व्यवस्था को प्रभावित किया जा सकता है।

जोधपुर आयुक्तालय क्षेत्र सामरिक एवं ऐतिहासिक रूप के साथ-साथ सैन्य रूप से भी काफी संवेदनशील क्षेत्र है, जिस कारण वर्तमान में विभिन्न कार्यक्रमों में हो रहे ड्रोन के संचालन/उपायोग को नियंत्रित किया जाना नितान्त आवश्यक है। इस हेतु पुलिस आयुक्तालय जोधपुर क्षेत्र में ड्रोन संचालकों/उपयोगकर्त्ताओं को बाध्य/पाबन्द करना युक्तियुक्त है।

उक्त परिस्थितियों से मेरा समाधान हो गया है एवं मै सन्तुष्ट हूँ कि जोधपुर आयुक्तालय में आगामी दिनों में होने वाली वीवीआईपी विजिट व आमसभा कार्यक्रमों में सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने हेतु दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा जारी की जावे।

अतः मै रविदत्त गौड़, पुलिस आयुक्त, जोधपुर दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जोधपुर आयुक्तालय के सम्पूर्ण पुलिस थाना क्षेत्र में निम्न आदेश प्रसारित करता हूँ कि :-

कोई भी व्यक्ति बिना पूर्व अनुमति के जोधपुर आयुक्तालय के सम्पूर्ण क्षेत्र में ड्रोन एवं किसी प्रकार के फ्लाईग ऑबजेक्ट का संचालन/उपयोग नहीं करेगा। जोधपुर आयुक्तालय के सम्पूर्ण क्षेत्र में ड्रोन एवं किसी प्रकार के फ्लाईग ऑबजेक्ट का संचालन/उपयोग करने से पूर्व सक्षम प्राधिकारी से अनुमति लेनी होगी।

यह आदेश आगामी दिनों में होने वाली वीवीआईपी विजिट व आमसभा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए देश की सुरक्षा एवं मानव जीवन व लोक-व्यवस्था की सुरक्षा हेतु लोक प्रशान्ति विक्षुब्ध होने की स्थिति को निवारित करने के लिए उपर्युक्त वर्णित आवश्यकताओं एवं परिस्थितियों के कारण लोकहित में तत्काल प्रभाव से जारी किया जाता है एवं उन व्यक्तियों के विरूद्व यह आदेश निर्दिष्ट है, पर सूचना की तामील सम्यक् रूप से कराने की गुंजाईश नहीं है। इसलिए यह आदेश एक पक्षीय पारित किया जाता है।

0291-2650900 ☎, 2650903, dsbjdrc@gmail.com✉, कार्यालय पुलिस आयुक्त, जोधपुर-342001

चूंकि इस नोटिस को सभी को व्यक्तिगत रूप से तामील नहीं कराया जा सकता है, अतः आदेश को बडे पैमानें पर जनता की जानकारी के लिए प्रचारित किया जावे। इस नोटिस को समाचार पत्रों, रेडियों, टी.वी. के माध्यम से और सभी कार्यालय (पुलिस आयुक्त, पुलिस उपायुक्त, अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त, सहायक पुलिस आयुक्त, तहसील एवं सभी पुलिस थाना) के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कर प्रकाशित किया जाकर सार्वजनिक किया जाए।

मैं सभी को इस आदेश की पालना करने तथा अवहेलना नहीं करने के निर्देश देता हूँ। इस आदेश की अवहेलना या उल्लघंन करने वाले व्यक्ति या संचालन/प्रबन्धन करने वाले व्यक्तियों पर भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 एवं अन्य विधिक प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जाएगी।

यह आदेश दिनांक 04.10.2023 को वक्त 05.00 पी.एम से लागु होकर दिनांक 14.10.2023 को वक्त 05.00 पी.एम तक या इससे पूर्व निरस्त किये जाने पर उस दिनांक तक प्रभावशील रहेगा।

यह आदेश आज दिनांक 04.10.2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं मुद्रा से जारी किया जाता है।

(रविदत्त गौड़)
पुलिस आयुक्त
जोधपुर

प्रतिलिपिः निम्न को सादर सूचनार्थ -

1. मुख्य सचिव, महोदय राजस्थान, जयपुर।
2. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान जयपुर।
3. प्रमुख शासन सचिव, गृह विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर।
5. जिला कलक्टर, जोधपुर।
6. पुलिस उपायुक्त पूर्व/पश्चिम/अपराध/मुख्यालय/यातायात, जोधपुर आयुक्तालय ।
7. अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त, पूर्व/पश्चिम/यातायात जोधपुर आयुक्तालय।
8. समस्त सहायक पुलिस आयुक्तगण, जोधपुर आयुक्तालय को पालनार्थ।
9. समस्त थानाधिकारीगण, आयुक्तालय जोधपुर को पालनार्थ।
10. प्रभारी, पुलिस नियन्त्रण कक्ष/अभय कमाण्ड कंट्रोल सेन्टर, जोधपुर आयुक्तालय।
11. जिला सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी, जोधपुर को स्थानीय समाचार पत्रों /मीडिया चैनल में प्रचार-प्रसार हेतु।
12. नोटिस बोर्ड, कार्यालय जोधपुर आयुक्तालय।

पुलिस आयुक्त
जोधपुर

0291-2650900, 2650903, dsbjdrc@gmail.com, कार्यालय पुलिस आयुक्त, जोधपुर-342001